प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया : 04.03.2025

आदेश पारित किया गया : 06.03.2025

रिट याचिका सिविल सं 1594/2024

1. सौरभ मणि मिश्रा पिता कृष्ण मुरारी मिश्रा , 49 वर्ष निवासी 107 बर्दे भाटा, कांनिवासीर, जिलाःकांकेर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य विधि तथा विधायी कार्य विभाग के द्वारा, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2. अतिरिक्त सचिव विधि तथा विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

3. कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कांकेर, जिलाःकांकेर, छत्तीसगढ़ 4.जिला तथा सत्र न्यायाधीश जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :---श्री प्रियंक राठी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु : ---श्री प्रवीण दास, उप महाधिवक्ता

सी ए वी आदेश

बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश के अनुसार,

1. वर्तमान रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, कांकेर को जारी दिनांक 11–1–2024 (अनुलग्नक–पी/1) के आक्षेपित पत्र को रद्द करने की मांग कर रहा है। वास्तव में, उक्त पत्र सरकार के दो अधिकारियों के बीच एक आंतरिक पत्र–व्यवहार है।याचिकाकर्ता ने जिला कांकेर में लोक अभियोजक/सरकारी वकील के पद से संबंधित बाद की प्रक्रिया को भी चुनौती दी है।

2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में पेश किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता है, को जिला कांकेर में राज्य सरकार के मामलों में एक वर्ष की अवधि के लिए शासकिय अधिवक्ता /लोक अभियोजक 1 के रूप में दिनांक 11–3–2019 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। इसके बाद, इसे दिनांक 6–5–2021 और 21–7–2023 के आदेश द्वारा बढ़ा दिया गया है।उक्त आदेश के अस्तित्व में होने के बावजूद, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, उत्तरवादी अधिकारियों ने जीपी/पीपी, अतिरिक्त शासकिय अधिवक्ता /अतिरिक्त लोक अभियोजक 2 और विशेष लोक अभियोजक 3 की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की, जो कि 11–1–2024 के आक्षेपित पत्र से स्पष्ट है। इसके बाद, जिला न्यायाधीश ने हितबद्ध अधिवक्ताओं से 28–2–2024 तक बार एसोसिएशन के कार्यालय में अपने नाम जमा करने को कहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान, जीपी/पीपी के पद पर नई नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू करना अवैध और मनमाना है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नोट के आधार पर, जिला न्यायालय, कांकेर के नोटिस बोर्ड पर आक्षेपित पत्र चिपकाया गया है।

3 इसके बाद 'स्पेशल पीपी' उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता का कार्यकाल जारी था, सरकार ने कांकेर जिले में जीपी/पीपी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करके 11–6–2024 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है और निर्देश दिया है कि जिला कांकेर में जीपी/पीपी की नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। उक्त तथ्य के बावजूद, अंतरिम आदेश की निरंतरता के दौरान, अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई है, जो विचाराधीन है।अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता **कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 4 तथा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जौहरी मल 5 के** मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा रखते है ।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते है कि आक्षेपित पत्र विधि विभाग और कलेक्टर के बीच एक आंतरिक पत्र–व्यवहार है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है।उन्होंने कहा कि अंतर–विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए

विचाराधीन हैं और किसी अधिकार का दावा करने के लिए आधार के रूप में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और ऐसे संचार से याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है।विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल 4–12–2024 के आदेश द्वारा समाप्त हो चुका है तथा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, तथापि याचिकाकर्ता ने आज दिनांक तक उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है। उनका कहना है कि जीपी/पीपी के पद पर नियुक्ति व्यावसायिक कार्य है, पदधारी को सार्वजनिक प्रकृति का कोई दर्जा नहीं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल केवल कार्यकारी निर्देशों का एक पूरा संस्करण है तथा इसे राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार जारी नहीं किया गया है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए विद्वान अधिवक्ता म**हादेव एवं अन्य बनाम सोवन देवी एवं अन्य 6** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय **तथा चीड़ीलाल यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य 7 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है ।**

5. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 4–12–2024 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को जीपी/पीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है तथा नवनियुक्त व्यक्ति को भी पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्ष नहीं बनाया गया है, जबकि उन्होंने इसकी प्रति इस न्यायालय के समक्ष कल यानि 3–3–2025 को कवरिंग मेमो के साथ दाखिल कर दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह सुस्थापित है कि अंतर–विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए विचाराधीन हैं और किसी भी अधिकार का दावा करने के आधार के रूप में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पास 11–1–2024 के आंतरिक संचार को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

8. जीपी/पीपी के पद पर नियुक्ति व्यावसायिक कार्य है; पदधारी को सार्वजनिक प्रकृति का कोई दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल केवल कार्यकारी निर्देशों की पूर्ति है और इसे राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार जारी नहीं किया गया है।

9. इस मोड़ पर, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हालांकि पहले यह प्रावधान था कि सरकार किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए, एक महीने का नोटिस देने के बाद पीपी या एपीपी की सेवाओं से छुटकारा दे सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13–8–2019 के तहत "एक महीने का नोटिस देने के बाद" शब्दों को हटा दिया।इस प्रकार, इस मामले में एक महीने का नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

10. अतिरिक्त जिला शासकिय अधिवक्ता , सहायक जिला शासकिय अधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित विधिक जोहरी मल (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया और यह अभिनिर्धारित किया गया

कि अतिरिक्त जिला शासकिय अधिवक्ता की नियुक्ति पेशेवर नियुक्ति है और उन्हें कार्यकाल के नवीनीकरण के संबंध में वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है और पीपी के पद का धारक कोई "सिविल पद" नहीं रखता है।

11. इसके अलावा **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राकेश कुमार केशरी एवं अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने जौहरी मल (सुप्रा) के मामले में निर्धारित विधि का पालन करते हुए स्पष्ट शब्दों में माना है कि राज्य के समक्ष अधिवक्ता (शासकिय अधिवक्ता) द्वारा धारित पद की प्रकृति पेशेवर संलग्नता की है और यह कोई सिविल पद नहीं है, इसलिए नियुक्ति या उनके पद के नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है और चयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है तथा न्यायालयों को सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने में बहुत सावधान रहना चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण मामला नहीं बनाया जाता है।

12. यह भी सामान्य विधि है कि राज्य को अपनी पसंद और विश्वास के अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। **(देखें: उत्तर प्रदेश राज्य बनामअजय कुमार तथा अन्य 9)।**

13. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर वर्णित कारणों से, छत्तीसगढ़ सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग और कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, कांकेर के बीच दिनांक 11–1–2024 (अनुलग्नक–पी/1) के आंतरिक संचार को रद्द करने की मांग करने वाली रिट याचिका, पोषणीय नहीं है।दिनांक 4–12–2024 के आदेश को चुनौती न दिए जाने के बावजूद, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का कार्यकाल समाप्त हो गया है और किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है।हालांकि, याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित फोरम के समक्ष दिनांक 4–12–2024 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

हेड नोट :

अंतर–विभागीय संचार से कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है और किसी भी अधिकार का दावा करने के आधार के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur